न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 14/15 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. दीनू पुत्र आसब खां
2. नूरू पुत्र आसब खां
3. इमरत पुत्र आसब खां
4. खूबी पुत्र आसब खां
5. जाकिर पुत्र आसब खां समस्त जाति मेवान निवासीयान ग्राम इच्छाका तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:––– अपीलांटस

बनाम

1. रूपू पुत्र निवाज खां जाति मेव
2. उमरदीन पुत्र धूपु जाति मेव
3. सुमरदीन पुत्र धूपु जाति मेव
4. निजरदीन पुत्र धूपु जाति मेव
5. जैतूनी पुत्री धूपु जाति मेव निवासीयान ग्राम इच्छाका तहसील किशनगढबास जिला अलवर
6. राज0 सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार, किशनगढबास

:––––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,किशनगढबास दिनांक 1.4.2015

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल
2. वकील रेस्पो0 :– श्री परमानंद मेहरा

निर्णय दिनांक 19.9.2016

प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2013 उनवान दीनू वगैरा बनाम रूपू वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 1.4.2015 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश किया था, जिसे तहत न्यायालय ने रेसज्यूडीकेटा में मानकर खारिज किया है,जिससे व्यथित होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि हमने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 725 वाके ग्राम इच्छाका तहसील किशनगढवास वादीगण के कब्जे काश्त की है,जिसका इन्तकाल संख्या 153 उनके पिता के नाम स्वीकार हो चुका था, किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलती से दर्ज हो गया, जिसे दुरूस्त कर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में निवेदन किया था कि वादीगण ने पूर्व में दावा दायर किया, जो दावा खारिज हो गया, इसलिये उनका यह वाद रेसज्यूडीकेटा में आने से खारिज किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा हमारा वाद रेसज्यूडीकेटा में खारिज कर दिया । इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि रेसज्यूडीकेटा वहां लागू होता है, जहां आराजी और पक्षकार समान हो तथा मांगा गया अनुतोष भी समान है । मौजूदा प्रकरण में यह स्थिति नहीं है । पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादीगण रेस्पो0 पक्षकार नहीं थे । पूर्ववर्ती दावा केवल कस्टोडियन भूमि से सम्बन्धित था, जिसको न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था । इसलिये पूर्ववर्ती वाद क्षेत्राधिकार पर खारिज किया गया था, गुणावगुण पर खारिज नहीं किया गया था । चूंकि पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार समान नहीं थे तथा गुणावगुण पर निस्तारित न होकर क्षेत्राधिकार पर निस्तारित हुआ है, इसलिये मौजूदा वाद पर रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होता है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में जो कानून थे, उन्हें निरस्त कर दिया तथा अब यदि राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि का इन्द्राज है और उस भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी है तो इस हेतु राजस्व न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकता है । इसलिये हमने सही तौर पर मौजूदा वाद पेश किया है और मौजूदा वाद में पक्षकार भिन्न है तथा वाद हेतुक भी भिन्न है । विद्वान तहत न्यायालय ने रेसज्यूडीकेटा पर तनकी भी नहीं बनाई है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 1989 ए0आई0आर0 इलाहाबाद 202, 2010 आर0बी0जे0 222, 2005 आर0 आर0 डी0 281, 2012 आर0 आर0 डी0 87 का हवाला दिया ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि पूर्ववर्ती वाद एवं मौजूदा वाद में पक्षकार एवं आराजी एक समान है तथा वाद कारण भी समान है । इसलिये मौजूदा वाद में रेसज्यूडीकेटा लागू होता है । रेसज्यूडीकेटा की आपत्ति हमने अपने जवाब में उठाई थी,जिस पर विद्वान तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान तहत न्यायालय ने वादीगण अपीलांटस का मौजूदा वाद प्रांग न्याय के सिद्धान्त पर खारिज किया है । परन्तु अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि रेसज्यूडीकेटा का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है, जिस पर एक

प्रापस अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

विधिक तनकी बनाई जानी चाहिये, तत्पश्चात उस तनकी पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर रेसज्यूडीकेटा के प्रश्न को निर्णित किया जाना चाहिये, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन सिद्धान्तों की अनदेखी की है । उसने ना तो रेसज्यूडीकेटा पर कोई विधिक तनकी बनाई है और ना ही उभयपक्ष की साक्ष्य ही ली है । विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों को बिना विधिक तनकी बनाये एवं बिना साक्ष्य के निर्णित नहीं किया जा सकता । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि वाद में अन्य तनकियात कायम की जा चुकी है, परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.4.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रकरण में कायम तनकियात के अलावा एक विधिक तनकी रेसज्यूडीकेटा के सम्बन्ध में भी कायम करें । तत्पश्चात इन सभी तनकियों पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 13.10.2016 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner